1/23

न्यायालय उपजिला कलेक्टर कनवास जिला कोटा

बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

केस न0 109/22

1. चन्द्रसेन आत्मज ब्रदीलाल जाति जाट निवासी ग्राम विशनपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1 अरविन्द कुमार पुत्र श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

2 ओम प्रकाश पुत्र श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

3 भैरूलाल पुत्र श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

4 हेमराज पुत्रान श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

5 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील कनवास जिला कोटा।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति::–
वादीनी की ओर से :– श्री रेवतीरमण नागर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– तहसीलदार कनवास

–:: **निर्णय** ::– दिनांक:–17.01.2023

वादी के द्वारा अन्तर्गत धारा 88 89 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादी के द्वारा दिनांक 02.06.2000 को माल ग्राम सावनभादौ पटवार हल्का सावनभादौ तहसील कनवास की तत्कालीन खाता संख्या 432 नया की आराजी खसरा न 1173 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा को तत्कालीन खातेदार श्रृवणलाल व किशनलाल पुत्रान गोपाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा से खरीद किया गया था जिसका इतकाल न 1192 दिनांक 02.01.2001 से वादी चन्द्रसेन के नाम उक्त कय शुदा आराजी दर्ज हो गई थी।

यह कि उसी दौरान सावनभादौ सिचाई परियोजना में नहरों के निर्माण हेतु भूमि आवाप्ति का समय चल रहा था इस कारण उकत आराजी के उसी समय सेटलमेंट सम्वत 2055 –2077 के भी प्रोसेस आराजी के उसी समय सेटलमेट संवत 2058 –2077 के भी प्रोसेस में होने के कारण उक्त खसरा न 1173 रकबा 3 बीघा 2 बिघा के नये खसरा न 2335 रकबा 0.35 च 2336 रकबा 0.15 है0 दो खसरा नम्बर बनाये गये जिनमें से इंतकाल न0 1192/02.01.2001 के जमाबंदी संख्या 2058 से 2077 सेटलमेंट जमाबंदी में अमल दरामद करते सूय वादी के नाम सिंर्फ खसरा न 2335 रकबा 0.35 रकबा 0.35 है0 दर्ज किया गया तथा वादी के खसरा न

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

2336 रकबा 0.15 है का विक्रेतागण के खाते में ही रह गया। तथा वादी के खसरा न0 2336 रकबा 0.35 है0 में से भी 0.08 है0 आराजी साववभादौ सिचाई परियोजना के नाम इंतकाल न 1227 दिनांक 26.12.2001 से दर्ज हो गई जिसका खसरा न भी बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया खसरा न 2335 रकबा 0.08 बनाया गया तथा वादी के खाते में सिर्फ खसरा न 2335 रकबा 0.27 है0 ही रह गया और वादी का खसरा न 2336 रकबा 0.15 है विक्रेतागण के खाते में ही रह गया जो बाद में विक्रेतागण के फौत हो जाने के कारण व आपसी विभाजन हो जाने के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के खाते दर्ज होकर उन्ही के खाते चलता रहा है किन्तु मौके पर कब्जे काश्त में आज भी वाद के ही है।

यह कि उक्त त्रुटि की जानकारी जब वादी को हुइ तो वादी के द्वारा प्रतिवादीगण से कहा कि उपरोक्त आराजी जो आपके खाते दर्ज है वह आपके पिताजी के द्वारा मुझ वादी को विकय कर दी र्थी किन्तु बन्दोबस्त विभाग की त्रटि के कारण उक्त आराजी वापस आप लोगों के खाते दर्ज हो गई है जिसे वापस मेरे नाम करवा दो तो प्रतिवादीगण के द्वारा मना कर दिया वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह उक्त कय शुदा आराजी को वापस अपने खाते बान्धवाये इस हेतु इन्द्रासज दुरस्ती व खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण की तलवी जये सम्मन की गई प्रतिवादी 1 ता 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो शमिल पत्रावली किये प्रतिवादी कम 1 ता 4 उपस्थित हस्ताक्षर करावाये गये वादी वादी एवं प्रतिवादी द्वारा उपरिति होकर राजीनामा पेश कर वादग्रस्त आराजी खसरा न 2336 रकबा 0.15 है को वापस वादी के खाते दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई राजीनामा को तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन कियाराजीनामा तस्दीक किया गया शामिल पत्रावली किया गया राजीनमा में वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री रेवतीरमण नागर द्वारा की गई एवं प्रतिवादी की पहचान उनकी आरे से अधिवक्ता श्री विनोद जी गौतम द्वारा की गई पक्षकारान द्वारा राजीनामा को स्वयं के द्वारा लिखवासया एवं सही एवं सत्य होना स्वीकार किया गया राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया वादी एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया पत्रावली पर राजीनामा पेश होने के कारण जवाब सरकार की कोई आवश्यकता नही होने से जवाब सरकार बन्द किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों, रिकार्ड व प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास की खसरा न 2336 रकबा 0.15 है0 जो वर्तमान में अरविन्द कुमार, ओम प्रकाश , भैरूलाल, हेमराज के नाम दर्ज है वह वापस वादी चन्द्रसेन पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील कनवास के नाम दर्ज किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास की खसरा न0 2336 रकबा 0.15 है0 जो वर्तमान में अरविन्द कुमार, ओम प्रकाश, भैरूलाल, हेमराज के नाम दर्ज है, को वादी चन्द्रसेन पुत्र बद्रीलाल जाति जाट निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील कनवास के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री जारी की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट** कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

केस न0 109/22

1. चन्द्रसेन आत्मज ब्रदीलाल जाति जाट निवासी ग्राम विशनपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादीनी–

बनाम

1 अरविन्द कुमार पुत्र श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

2 ओम प्रकाश पुत्र श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

3 भैरूलाल पुत्र श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

4 हेमराज पुत्रान श्रृवण लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास जिला कोटा

5 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति::–

वादीनी की ओर से :– श्री रेवतीरमण नागर एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– तहसीलदार कनवास

मुकदमा नं. **109/22** सन **2022** तारीख फैसला **17.01.2023 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री रेवती रमण नागर वादी** मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **की ओर से राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अतः माल ग्राम सावनभादौ तहसील कनवास की खसरा न0 2336 रकबा 0.15 है0 जो वर्तमान में **अरविन्द** कुमार, ओम प्रकाश, भैरूलाल, हेमराज के नाम दर्ज है, को वादी चन्द्रसेन पुत्र बद्रीलाल जाति जाट **निवासी** ग्राम बिशनपुरा तहसील कनवास के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री जारी की जावे।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **17.01.2023** माह **जनवरी** को जारी की गई।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के ज़रिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
किनवास